New Zealand Government
Te Kāwanatanga o Aotearoa

राष्ट्रीय आपदा रिसिलियेन्स (लचीलापन) कार्यनीति

राष्ट्रीय आपदा रिसिलियेन्स (लचीलापन) कार्यनीति

परिचय

यह दस्तावेज, नागरिक प्रतिरक्षा आपातस्थिति प्रबंधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्मित राष्ट्रीय आपदा रिसिलियेन्स (लचीलापन) कार्यनीति, एक 10 वर्षीय कार्यनीति का सारांश प्रदान करता है। उपलब्ध कराए गए सारांश में कार्यनीति के उद्देश्य का परिचय, मुख्य बातों का एक अवलोकन, और, समाज में विभिन्न समूहों के लिए सिफारिशें शामिल हैं।

राष्ट्रीय आपदा रिसिलियेन्स (लचीलापन) कार्यनीति का उद्देश्य

न्यू ज़ीलैंड में प्रतिरक्षा आपातस्थिति प्रबंधन (सी.डी.ई.एम) हेतु विज़न, तथा दूरगामी लक्ष्यों का वर्णन करना कार्यनीति का उद्देश्य है। न्यू ज़ीलैंड में सी.डी.ई.एम, सी.डी.ई.एम अधिनियम, के अंतर्गत आता है, जोः

- सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने वाले तरीके से खतरों के स्थायी प्रबंधन को बढ़ावा देता है;
- जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में समुदायों सहित व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करता है;
- आपातस्थितियों के लिए, और प्रतिक्रिया तथा रिकवरी के लिए योजना बनाने तथा तैयारी करने की रूपरेखा प्रदान करता है;
- स्थानीय अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे क्षेत्रीय समूहों के माध्यम से कमी, तैयारी, प्रतिक्रिया और रिकवरी गतिविधियों के तालमेल करें;
- राष्ट्रीय और स्थानीय योजना निर्माण तथा गतिविधियों के एकीकरण का आधार प्रदान करता है; और
- इसे मान्यता देते हुए, कि आपातस्थितियां कई एजेंसियों से संबंधित घटनाएं होती हैं जो समाज के सभी भागों को प्रभावित करती हैं, विविध प्रकार की एजेंसियों के बीच तालमेल प्रोत्साहित करता है।

लचीलेपन से युक्त (रिसिलियेंट (लचकदार)) न्यू ज़ीलैंड के लिए हम इन सबकी सम्मिलित व्याख्या करते हैं।

यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि न्यू ज़ीलैंड के निवासियों के लिए कई तरह के खतरों के जोखिम रहे हैं और रहेंगे।

हमारे द्वारा अभी तथा आगे चलकर सामना किए जाने वाले इनमें से अनेक जोखिमों की तुरंत पहचान की जा सकती है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि भविष्य अनिश्चित होता है, प्रमुख रूप से अप्रत्याशित, तथा अनुमानों के दायरे से बाहर घटनाएं घटित हो सकती हैं। भविष्य के इस अनिश्चित माहौल में सफलता के लिए, रिसिलियेन्स (लचीलापन) एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। नुकसानदेह घटनाओं का पूर्वानुमान करने, कम करने, सहन करने, प्रतिक्रिया करने, अनुकूलन करने, तथा उनसे रिकवर करने की हमारी-अथवा सिस्टम की क्षमता ही रिसिलियेन्स (लचीलापन) है।

हमारे जोखिम भरे भूभाग, तथा व्यापक घरेलू और वैश्विक परिवेश की अनिश्चितता को देखते हुए, हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम अपना रिसिलियेन्स (लचीलापन) बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाएं और न्यू ज़ीलैंड की– यहां के लोगों, समुदायों, व्यवसायों, हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, तथा पूरे राष्ट्र की समृद्धि और कल्याण की रक्षा करें।

हम जोखिम प्रबंधन के तरीके, तथा व्यापक सामाजिक रिसिलियेन्स (लचीलापन) विकसित करके अपने जोखिम कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम आपातस्थितियों, तथा अन्य प्रकार के व्यवधानों के होने के समय उन पर प्रतिक्रिया करने और उनसे रिकवरी करने के लिए प्रभावी प्रक्रियाएं भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

यह कार्यनीति यह निर्धारित करती है कि न्यू ज़ीलैंड के निवासियों के रूप में हम एक रिसाइलेंट न्यू ज़ीलैंड के मामले में क्या उम्मीद करते हैं, और अगले 10 वर्षों के दौरान हम क्या हासिल करना चाहते हैं। यह स्पष्ट रूप से रिसिलियेन्स (लचीलापन) को न्यू ज़ीलैंड के सभी निवासियों के लिए जीवन मानकों के संरक्षण और बढ़ोत्तरी से जोड़ता है और एक व्यापक, पूरे समाज की सहभागिता वाली और समावेशी विधि को बढ़ावा देता है।

इस कार्यनीति में आपदाओं के प्रति न्यू ज़ीलैंड के रिसिलियेन्स (लचीलापन) को बढ़ाने के लिए प्राथमिकताएं और उद्देश्य स्पष्ट करने के साथ विज़न और रणनीतिक दिशा निर्धारण किया गया है। ये उद्देश्य *किस प्रकार* प्राप्त किए जाएंगे, इसके विवरणों के साथ एक सहायक कार्ययोजना तथा अन्य प्रमुख दस्तावेज शामिल हैं जिनमें *राष्ट्रीय सी.डी.ई.एम योजना* और *गाइड, राष्ट्रीय सुरक्षा हैंडबुक*, सी.डी.ई.एम समूह योजनाएं, और अन्य कई सहायक नीतियां और योजनाएं सम्मिलित हैं।

कार्यनीति

कार्यनीति का विज़न यह है कि:

न्यू ज़ीलैंड को आपदाओं के प्रति लचीला राष्ट्र बनाना, जो जोखिम प्रबंधन करने और रिसिलियेन्स (लचीलापन) विकसित करने की दिशा में पूर्वसक्रिय रूप से इस प्रकार कार्य करता है कि जिससे न्यू ज़ीलैंड के सभी निवासियों के कल्याण और समृद्धि में योगदान होता है।

यह विज़न पूरा करने के लिए, कार्यनीति का एक सम्मिलित लक्ष्य है:

जोखिमों का प्रबंधन करके, आपातस्थितियों पर प्रतिक्रिया तथा उनसे रिकवरी हेतु तैयारी करके, तथा व्यक्तियों, संगठनों, और समुदायों को सभी की सुरक्षा व कल्याण हेतु अपने व औरों के लिए कार्य करने हेतु सशक्त बनाकर तथा सहायता प्रदान करके राष्ट्र का रिसिलियेन्स (लचीलापन) विकसित करना।

हम तीन मुख्य प्राथमिकताओं के द्वारा ऐसा करेंगे:

1. जोखिमों का प्रबंधन
2. आपातस्थितियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया तथा उनसे रिकवरी
3. सामुदायिक रिसिलियेन्स (लचीलापन) के लिए सक्षम, सशक्त बनाना और सहायता प्रदान करना

प्रत्येक प्राथमिकता के तीन उद्देश्य हैं।

कार्यनीति के उद्देश्य

सभी स्तरों पर जोखिम प्रबंधन की प्राथमिकता की दिशा में प्रगति के लिए छह उद्देश्य तय किए गए हैं:

1	जोखिम स्थितियों (खतरे के घटकों, संपर्क, भेद्यता, तथा क्षमता को शामिल करते हुए) की पहचान करना और समझना, तथा जागरूकता पर आधारित निर्णय लेने के लिए इस जानकारी का उपयोग करना
2	जोखिमों में कमी को समझने और उस पर कार्य करने के लिए, संगठन के ढांचे स्थापित करना और ज़रूरी प्रक्रियाओं की पहचान करना-इसमें सामुदायिक नज़रियों द्वारा जानकारी लेना शामिल है
3	जोखिम जागरूकता, जोखिम के संबंध में जानकारी, तथा जोखिम प्रबंधन क्षमता विकसित करना, इसमें जोखिम मूल्यांकन क्षमता भी शामिल है
4	जोखिम घटाने की नीति में कमियों को दूर करना (खासतौर से जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन को ध्यान में रखते हुए)
5	विशेषकर निर्मित और प्राकृतिक पर्यावरणों में विकास और निवेश की ऐसी विधियां सुनिश्चित करना जो जोखिमों के प्रति जागरूक हों, और कोई गैरज़रूरी या अवांछित नया जोखिम न खड़ा करने को लेकर सावधानी रखना
6	आपदाओं और तबाहियों के आर्थिक प्रभावों, तथा रिसिलियेन्स (लचीलापन) में निवेश की ज़रूरत समझना। रिसिलियेन्स (लचीलापन) की गतिविधियों में सहायक तथा प्रेरक वित्तीय व्यवस्थाओं की पहचान और विकास करना।

यह छह उद्देश्य, **आपातस्थितियों पर प्रभावी प्रतिक्रिया तथा उनसे रिकवरी** की प्राथमिकता की दिशा में प्रगति के लिए तय किए गए हैं:

7	यह सुनिश्चित करने के उपाय करना कि लोगों की सुरक्षा और कल्याण आपातस्थिति प्रबंधन प्रणाली के केंद्र में हो
8	आपातस्थिति प्रबंधन संगठनों, तथा आईवीआई/माओरी का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों के बीच संबंध विकसित करके आपातस्थिति प्रबंधन में आईवीआई/माओरी दृष्टिकोणों और टिकांगा की बेहतर जागरूकता, समझ, और एकीकरण सुनिश्चित करना
9	अधिक स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान करने, तथा आपातस्थितियों के प्रति अधिक सुसंगत प्रतिक्रिया तथा रिकवरी के लिए आपातस्थिति प्रबंधन प्रणालियों के राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत बनाना
10	प्रतिक्रिया और रिकवरी में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर लोगों की स्पष्ट जिम्मेदारियां सुनिश्चित करना, समुदाय स्तर की प्रतिक्रिया सक्षम बनाना और सशक्त बनाना, और यह सुनिश्चित करना कि जब और जहां ज़रूरत हो, वहां यह व्यापक तालमेल वाली प्रतिक्रियाओं से जुड़ी हो

11	प्रभावी प्रतिक्रिया और रिकवरी संभव बनाने के लिए आपातस्थिति प्रबंधन कर्मचारियों की क्षमता और दक्षता विकसित करना
12	हितधारकों, तथा जनता द्वारा जागरूक, समय पर, तथा सुसंगत निर्णय संभव बनाने के लिए आपातस्थितियों में निर्णय-सृजन में सहायक सूचना तथा आसूचना (इंटेलिजेंस) प्रणाली को उन्नत बनाना।

सभी स्तरों पर **सामुदायिक रिसिलियेन्स (लचीलापन)** को सक्षम बनाने, सशक्त बनाने, तथा सहयोग देने की प्राथमिकता आगे बढ़ाने के लिए छह उद्देश्य तय किए गए हैं:

13	व्यक्तियों, परिवारों, संगठनों, तथा व्यवसायिकों को उनका अपना रिसिलियेन्स (लचीलापन) विकसित करने के लिए सक्षम और सशक्त बनाना, जिसमें ऐसे लोगों व समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जो आपदा के कारण असाधारण रूप से प्रभावित हो सकते हैं
14	सामाजिक जुड़ाव का ऐसा माहौल प्रेरित करना, जो पारस्परिक सहायता की संस्कृति को बढ़ावा देता हो; सामुदायिक रिसिलियेन्स (लचीलापन) विकसित करने के लिए सामूहिक प्रभाव विधि का समावेश करना
15	महत्त्वपूर्ण योजनाओं और कार्यनीतियों में रिसिलियेन्स (लचीलापन) के लिए रणनीतिक उद्देश्यों का समावेश करने के साथ रिसिलियेन्स (लचीलापन) के लिए सम्पूर्ण शहर/जिले/क्षेत्र वाली विधि अपनाना
16	महत्त्वपूर्ण ढांचागत प्रणालियों की क्षमता और पर्याप्तता का समाधान करना, और पहचाने गए जोखिमों के अनुसार व्यावहारिक रूप में उनको उन्नत बनाना
17	रिकवरी की ऐसी योजना बनाने के लिए रणनीतिक रिसिलियेन्स (लचीलापन) विधि अपनाना, जिसमें चिन्हित जोखिमों को ध्यान में रखा गया हो, फिर से बेहतर विकास/निर्माण के लिए दूरगामी प्राथमिकताओं और अवसरों को समझा गया हो, और प्रभावित लोगों की ज़रूरतें रिकवरी प्रक्रियाओं के केंद्र में रखना सुनिश्चित किया गया हो
18	रिसिलियेन्स (लचीलापन) की संस्कृति के महत्त्व को मान्यता देना, जिसमें सांस्कृतिक स्थानों, संस्थानों, और गतिविधियों की निरंतरता को सहायता शामिल है, और रिसिलियेन्स (लचीलापन) में विभिन्न संस्कृतियों की भागीदारी संभव बनाना

मैं क्या कर सकता हूं?

कार्यनीति के सभी पाठकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे इस पर विचार करें कि प्राथमिकताओं और उद्देश्यों का उनके लिए, उनके परिवार/व्हानाउ, कारोबार अथवा संगठन, समुदाय/हापू के लिए क्या महत्त्व है, और अपने

रिसिलियेन्स (लचीलापन) अथवा दूसरों के रिसिलियेन्स (लचीलापन) को बढ़ाने के लिए वे क्या कर सकते हैं। कुछ अनुकूलित, सुझाई गई कार्यवाहियां नीचे दी गई हैं।

व्यक्ति और परिवार/व्हानाउ

1. **अपने जोखिम को समझें**- उन संकटों अथवा व्यवधानों के प्रति सतर्क रहें, जिनका आप सामना कर सकते हैं, आपका एक्सपोजर (संपर्क)- आपकी चीज़ें, जो उन व्यवधानों के कारण जोखिम में होती हैं, और आपकी भेद्यता (असुरक्षित स्थिति)– आप और आपकी चीज़ें किस तरह से प्रतिकूल प्रभावित हो सकती हैं।
2. **अपने जोखिम कारकों को कम करें** - उन विविध उपायों के बारे में सोचें, जो आप अपना संपर्क अथवा भेद्यता कम करने के लिए अपना सकते हैं, और जहां संभव हो, उनको अपनाने में निवेश करें।
3. **जहां संभव हो, भविष्य को सुरक्षित बनाएं** - नई खरीदारियां करते समय इस बारे में सोचें कि आप किस तरह खुद को भविष्य के प्रति सुरक्षित बना सकते हैं और रिसिलियेन्स (लचीलापन) बढ़ा सकते हैं।
4. **खुद को और अपने परिवार को तैयार करें** - उन अनेक प्रभावों पर विचार करें, जो आपातस्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं (उदाहरण के लिए, बिजली, पानी, अथवा संचार सुविधाएं ध्वस्त हो जाना, रास्तों, अथवा परिवहन की समस्याएं, अधिक अवधि तक अपने घर के अंदर अथवा बाहर रहने की ज़रूरत आ पड़ना)। उन चीज़ों पर विचार करें जो वैसे समय के दौरान आप चाह सकते हैं या आपके पास उपलब्ध होनी आवश्यक हैं। आपातस्थिति के लिए अपनी तैयारी में पशुओं को भी शामिल करना याद रखें।
5. **व्यवधान हेतु योजना** - व्यवधान हेतु योजना बनाएं; इस पर विचार करें कि यदि संचार सुविधाएं ध्वस्त हो जाएं अथवा पहुंच मार्ग में समस्या हो तो आप परिवार/व्हानाउ और मित्रों से कैसे मिलेंगे।
6. **जानकारी रखें**- अधिक जानकारी पाएं, जोखिम और रिसिलियेन्स (लचीलापन) के बारे में दूसरों से चर्चा करें, आपातस्थिति के दौरान सूचित रह सकने तथा सावधानियां (अलर्ट) और चेतावनियां प्राप्त कर सकने के लिए विभिन्न तरीके खोजें।
7. **अपने पड़ोसियों को जानें** - अपने पड़ोसियों से मेलजोल बनाएं और अपने समुदाय में भाग लें-आप एक-दूसरे के सर्वप्रथम सहायक हैं।

व्यवसाय और संगठन

1. **अपने जोखिमों को समझें**- उन संकटों अथवा व्यवधानों के प्रति सतर्क रहें, जिनका आप सामना कर सकते हैं, आपकी संपत्तियां (लोग और पूंजी) किस तरह प्रभावित हो सकते हैं, और वे व्यवधान प्रबंधित करने के लिए कौन से मज़बूत उपाय और संसाधन उपलब्ध हैं।
2. **रिसिलियेन्स (लचीलापन) को एक रणनीतिक उद्देश्य बनाएं और इसे उपयुक्त कार्यवाहियों, योजनाओं और कार्यनीतियों में शामिल करें**- इस पर आपके कारोबार की निरंतरता (तथा आपके उत्पादों/सेवाओं पर निर्भर लोगों का कल्याण) निर्भर है।
3. **संगठन के रिसिलियेन्स (लचीलापन) में निवेश करें** - आपके जोखिम में योगदान करने वाले कारकों को कम करके तथ प्रबंधित करके समग्र व्यवसाय निरंतरता नियोजन सुनिश्चित करें और अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया की अपनी क्षमता पर विचार करें व इसे विकसित करें।
4. **आपूर्ति श्रृंखला रिसिलियेन्स (लचीलापन) के बारे में एश्योरेंस (आश्वासन) प्राप्त करें** - सप्लॉयरों से उनकी व्यावसायिक निरंतरता योजनाओं, स्टॉक वहन नीतियों, गैर-आपूर्ति और आपूर्ति श्रृंखला चेतावनी प्रक्रियाओं के प्रति संपर्क के बारे में विशिष्ट सलाह और आश्वस्तियां (एश्योरेंस) प्राप्त करें।
5. **आज लाभ उठाएं, भविष्य में लाभ उठाएं** - संकट/आपदा हेतु पूर्वतैयारी के समाधान खोजें जो आपके संगठन को निरंतर लाभ पहुंचाते हैं।
6. **अपने सामाजिक प्रभाव पर विचार करें** - इस पर विचार करें कि आप किस तरह से अपने समुदाय, शहर, अथवा जिले में रिसिलियेन्स (लचीलापन) बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। अपने समुदाय की मदद करने के साथ, आप अपने संगठन के व्यवधान से प्रभावित होने के जोखिम भी कम कर पाएंगे।
7. **दूरगामी सोच रखें** - अपने पर्यावरण में दीर्घकालीन बदलावों पर विचार करें, उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, और इन बदलावों को अवसरों के रूप में देखने के लिए आप अपने संगठन को किस तरह तैयार कर सकते हैं।
8. **दूसरों से सहयोग बनाएं और अपना नेटवर्क विकसित करें**- जोखिम और रिसिलियेन्स (लचीलापन) के मामले में समान उद्देश्यों वाले दूसरे लोगों को खोजें और उनसे गठबंधन करें– हम मिलकर अधिक मज़बूत बनते हैं, और आप अधिक योगदान कर पाते हैं तथ लाभ प्राप्त करते हैं।

9. **प्रतिक्रिया और रिकवरी के बारे में जानकारी करें**- इसे समझें, कि आपके जिले या संबंधित क्षेत्र में प्रतिक्रिया और रिकवरी किस तरह कार्य करेगी, और व्यवधानों पर प्रतिक्रिया तथा उनसे रिकवरी करने के लिए अपनी खुद की क्षमता विकसित करें।

समुदाय और हापू

1. **अपने जोखिम को समझें**- अपने जोखिमों की सामूहिक समझ विकसित करने का प्रयास करें: संकट या व्यवधान जिनका आप सामना कर सकते हैं, व्यक्तियों, पशुओं, संपत्ति और जायदाद के संदर्भ में आपका सामूहिक संपर्क, और आपकी भेद्यताएं-ये किस तरह से आपको प्रतिकूल प्रभावित कर सकते हैं।
2. **अपने जोखिम कारकों को कम करें** - इस बारे में विचार करें कि क्या आपके समुदाय का संपर्क अथवा भेद्यताएं कम करने के कोई उपाय हैं-इसके लिए धन निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि ऐसा किया जाता है तो विकल्प हो सकते हैं।
3. **दूरगामी सोच रखें** - अपने पर्यावरण में दीर्घकालीन बदलावों पर विचार करें, उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, और उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं।
4. **आज लाभ उठाएं, भविष्य में लाभ उठाएं** - जोखिम में कमी, तैयारी, और रिसिलियेन्स (लचीलापन) के समाधान खोजने के प्रयास करें जो आपके समुदाय को निरंतर लाभ पहुंचाते हैं। आने वाले कल के लिए तैयारी करते हुए, आप वर्तमान में समुदाय को अधिक समृद्ध बनाएंगे।
5. **प्रतिक्रिया और रिकवरी के बारे में जानकारी करें** - इसे समझें, कि आपातस्थितियों में आपके जिले या संबंधित क्षेत्र में प्रतिक्रिया और रिकवरी किस तरह कार्य करेगी।
6. **अपने सामूहिक संसाधनों को समझें** - इस बारे में विचार करें कि अभी, अथवा किसी आपातस्थिति के समय आपके पास कौन से संसाधन होंगे, और आप उनका किस प्रकार प्रयोग कर सकेंगे।
7. **योजना बनाएं और इसका अभ्यास करें** - सामुदायिक प्रतिक्रिया और रिकवरी योजना से समुदायों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे किसी आपदा के बाद किस तरह से एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि आपको ज़रूरत हो, तो मदद के लिए अपने स्थानीय आपातस्थिति प्रबंधन कार्यालय से संपर्क करें, और किन्हीं योजनाओं पर अमल करें, जैसा व्यावहारिक हो।
8. **सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करें**- एक दूसरे से परिचित समुदाय, अधिक मज़बूत समुदाय होते हैं- अच्छे दौर में भी, और खराब समय में भी।

शहर और जिले

1. **अपने जोखिम को समझें**- जिन संकटों और व्यवधानों का आप सामना कर सकते हैं, उनको, और व्यवधानों का सामना करने के लिए अपने समुदाय की इच्छा और क्षमता को पहचानें और समझें।
2. **रिसिलियेन्स (लचीलापन) के लिए संगठित हों** - इस पर विचार करें कि क्या जोखिम और रिसिलियेन्स (लचीलापन) के लिए आपका शासन, इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त है कि नहीं। रूचि रखने वाले सभी पक्षों को शामिल करें, और सम्पूर्ण शहर/जिले वाली विधि अपनाएं।
3. **रिसिलियेन्स (लचीलापन) को एक रणनीतिक उद्देश्य बनाएं** - रिसिलियेन्स (लचीलापन) को एक मुख्य रणनीतिक उद्देश्य बनाएं, आपके शहर/जिले की आर्थिक समृद्धि और आपके समुदायों का कल्याण इस पर निर्भर है।
4. **नेतृत्व करें, बढ़ावा दें, और श्रेष्ठता प्राप्त करें** - रिसिलियेन्स (लचीलापन) में शहर/जिला वार निवेश में नेतृत्व करें, बढ़ावा दें, और श्रेष्ठता प्राप्त करें। रिसिलियेन्स (लचीलापन) के उद्देश्यों को आर्थिक विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों में शामिल करना सुनिश्चित करें।
5. **जोखिम प्रबंधन नीति में कमियां दूर करें** - जोखिम प्रबंधन नीति में कमियां दूर करें, इसमें अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों से पीछे हटने, अथवा विस्थापन के मामले, तथा जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन शामिल हैं।
6. **रिसिलियेंट (लचकदार) शहरी विकास को बढ़ावा दें** - रिसिलियेंट (लचकदार) शहरी विकास को बढ़ावा दें, इसमें जोखिम के प्रति सतर्क भूमि-उपयोग निर्णय, तथा रिसिलियेन्स (लचीलापन) के समावेश वाले शहरी डिजाइन और वृद्धि शामिल हैं।
7. **ढांचागत रिसिलियेन्स (लचीलापन) बढ़ाएं** - जोखिमों का मूल्यांकन करें, और महत्त्वपूर्ण संपत्तियों का रिसिलियेन्स (लचीलापन), तथा अनिवार्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करें।
8. **प्राकृतिक बफर्स (प्रतिरोधक) सुरक्षित करें** - जहां व्यावहारिक हो, प्राकृतिक परिवेश द्वारा उपलब्ध सुरक्षात्मक सुविधाओं का उपयोग करें।

9. **वित्तीय क्षमता मज़बूत बनाएं** - अपने क्षेत्र में आपदाओं के आर्थिक प्रभाव और रिसिलियेन्स (लचीलापन) में निवेश की ज़रूरत समझें। रिसिलियेन्स (लचीलापन) की गतिविधियों में सहायक हो सकने वाली वित्तीय प्रणालियों की पहचान और विकास करें
10. **सामाजिक क्षमता मज़बूत बनाना** - सामाजिक घनिष्ठता का माहौल बनाएं, जो पारस्परिक मदद की संस्कृति को बढ़ावा दे। जमीनी स्तर के प्रयासों, तथा संगठनों को सहायता और सक्षम बनाएं। विविधता का समर्थन करें और समावेश को प्रोत्साहन दें।
11. **संगठन में रिसिलियेन्स (लचीलापन) में निवेश करें** - सुनिश्चित करें कि आपकी सम्पूर्ण कारोबारी निरंतरता योजना लागू हो, और अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया की अपनी क्षमता पर विचार करें और उसे मज़बूत बनाएं।
12. **प्रतिक्रिया और रिकवरी के लिए क्षमता और दक्षता बढ़ाएं** - सुनिश्चित करें कि आपकी क्षमता और दक्षता न केवल उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो और अनुकूलित करने योग्य हो।

सरकारी और राष्ट्रीय संगठन

1. **रिसिलियेन्स (लचीलापन) के लिए संगठित हों** - जोखिम और रिसिलियेन्स (लचीलापन) की गतिविधि के तालमेल, तथा इस कार्यनीति के क्रियान्वयन वाली प्रणालियों में भाग लें।
2. **निगरानी करें, मूल्यांकन करें और सार्वजनिक रिपोर्ट करें** - निम्न के बारे में नियमित रिपोर्ट करें:
    - जोखिम और जोखिम प्रबंधन,
    - आपदाओं के कारण आर्थिक हानि,
    - रिसिलियेन्स (लचीलापन), और
    - इस कार्यनीति पर प्रगति।
3. **रिसिलियेन्स (लचीलापन) में श्रेष्ठता** - रिसिलियेन्स (लचीलापन) के महत्त्व को बढ़ावा दें, इसमें सम्पूर्ण समाज वाली विधियां, तथा राष्ट्रीय आपदा रिसिलियेन्स (लचीलापन) कार्यनीति के मुख्य मूल्य और सिद्धांत शामिल हैं।
4. **रिसिलियेन्स (लचीलापन) को सरल बनाएं** - ऐसी नीतियां और कानून बनाएं, जो लोचशील (रिसाइलेंट) व्यवहार को संभव बनाएं और प्रोत्साहित करें। क्लाइंट्स, हितधारकों, साझेदारों, निर्णय करने वालों, तथा जनता के लिए इसे आसान, किफायती और तर्कसंगत बनाएं।
5. **मिलकर कार्य करें** - जोखिम और रिसिलियेन्स (लचीलापन) के मामले में समान उद्देश्य वाले अन्य लोगों को खोजें, और नीतियों और विधियों को व्यवस्थित करें
6. **संगठन के रिसिलियेन्स (लचीलापन) में निवेश करें** - अपने संगठन के लिए जोखिम परिदृश्यों को समझकर, जिसमें आपके संगठन और /अथवा क्लाइंट्स के लिए उच्च जोखिम रेटिंग की वज़हें शामिल हैं; आपके लिए जोखिम उत्पन्न करने वाले कारकों को कम करें, तथा प्रबंधित करके; समग्र कारोबारी निरंतरता योजना सुनिश्चित करें, तथा अप्रत्याशित घटनाओं पर प्रतिक्रिया की अपनी क्षमता पर विचार करें और इसे मज़बूत बनाएं।
7. **सामाजिक रिसिलियेन्स (लचीलापन) में निवेश करें** - आपातस्थितियों से पहले, दौरान, और बाद में सामाजिक ज़रूरतों और मूल्यों पर विचार करें। सुनिश्चित करें कि वर्तमान में, तथा आपातस्थिति के समय अधिक मज़बूत समुदायों के लिए निवेश बहुउद्देश्यीय हों।
8. **अपने जटिल जोखिमों का समाधान करें** - समाज द्वारा सामना किए जाने वाले कुछ सबसे जटिल जोखिमों के समाधान, और उन पर प्रगति करें, जिसमें सर्वाधिक संकटपूर्ण समुदायों में जोखिम के समाधान के तरीके, तथा जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन शामिल हैं।
9. **प्रतिक्रिया और रिकवरी के लिए क्षमता और दक्षता बढ़ाएं** - सुनिश्चित करें कि आपातस्थिति प्रबंधन क्षमता और दक्षता न केवल उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो, बल्कि भविष्य के लिए भी तैयार हो और अनुकूलित करने योग्य हो।

अधिक जानकारी

राष्ट्रीय आपदा रिसिलियेन्स (लचीलापन) कार्यनीति का पूरा संस्करण और सहायक संसाधन www.civildefence.govt.nz पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।